

मि. सं. 29-01/2022-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली-110012
दिनांक: 18 नवंबर, 2022

सेवा में,

Shri Mishrilal Waskel
Village- Bankpura, Post Semalda
Tehsil-Dharampuri
District-Dhar-454552
(Madhya Pradesh).

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति-विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री0 मिश्री लाल वास्केल, मध्य प्रदेश, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित ।

महोदय,
कृपया आप अपने पत्र जिसमें आपने आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर सूचना मांगी है, का अवलोकन करें, जो कि इस निदेशालय को Online पंजीकरण सं0 DOEXT/R/T/22/00076 दिनांक 19.10.2022 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि विस्तार निदेशालय में "ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी" नाम का कोई स्वीकृत पद नहीं है। अतः आपके उपरोक्त आवेदन में बिन्दु संख्या 1, 2, 3 एवं 4 के संबंध में इस निदेशालय से संबंधित सूचना शून्य है।

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),
विस्तार निदेशालय,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
कमरा संख्या 204, कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110 012,
दूरभाष:- 011-25849881 व ई-मेल पता:-shailesh.mishra29@gov.in

भवदीया
दीपा
18/11/2022
(दीपा पांडे)

उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आई.ओ.)
दूरभाष:- 011.25846467
ई-मेल:- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जबाव को विस्तार निदेशालय की वेबसाईट www.krishivistar.gov.in. पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।